17

1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 –18 रिवीजन

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2017/4815

दिनांक 1-12-17 को श्री कमेश कुमार मोहरे अभि० द्वारा प्रस्तुत। 1-12-17 पे० दि० 5-12-17

1. हरीबाबू शर्मा पुत्र श्री प्रयागनारायण शर्मा ,उम्र–85, व्यवसाय–कृषि ,पता–पुरानी बस्ती, श्री कृष्ण गली, चौबे फैक्ट्री भिण्ड (म0प्र0)
2. श्री बाबू पुत्र प्रयागनारायण शर्मा , उम्र–लगभग 60 वर्ष व्यवसाय– कृषि, पता–ग्राम कुरथरा तहसील भिण्ड जिला भिण्ड ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा राधा बल्लभ मंदिर हनुमान बजरिया भिण्ड जिला भिण्ड म0प्र0
2. श्रीमती मंजू गोस्वामी पत्नी स्व. श्री बृजेश गोस्वामी , निवासी– राधाबल्लभ मंदिर बजरिया भिण्ड म0प्र0

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

634 राहुल तिवारी शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 1.12.17

आवेदकगण की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

रिवीजन के तथ्य

1 यह कि, आवेदकगण ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सुभाग मुरैना की अदालत में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्र. 177/2017–18 अपील माल हरीबाबू शर्मा बनाम म0प्र0 शासन आदि के नाम से दर्ज हुई उक्त अपील की सुनवाई न्यायालय में दिनांक 06.11.17 को की और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण किया तथा आदेश में लिखा कि " अपीलांट द्वारा अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4815 **जिला** – भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश बौहरे एवं अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि मंदिर श्री राधावल्लभ जी कुरथरा से लगी हुई शासकीय माफी औकाप की भूमि पर आवेदक द्वारा कई वर्षों से फसल उगाकर व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी को भी पूजा अर्चना व मरम्मत आदि के लिए धनराशि नहीं दी गई है। उक्त कारणों से उन्होंने आवेदक को मंदिर की भूमि पर फसल उगाकर अतिक्रमण कर व्यक्तिगत लाभ अर्जित किए जाने के कारण तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को उचित ठहराते हुए अपील को अस्वीकार किया है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्य समवर्ती हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	